न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2023 (उदयपुर आर्डर)

1. लालसिंह पिता स्वर्गीय विजयसिंह राजपूत, निवासी सरदारसिंह जी का कुंआ, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. अमरसिंह पिता स्वर्गीय विजयसिंह राजपूत, निवासी सरदारसिंह जी का कुंआ, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. वागसिंह पिता स्वर्गीय विजयसिंह राजपूत, निवासी सरदारसिंह जी का कुंआ, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. गणपतसिंह पिता स्वर्गीय विजयसिंह राजपूत, निवासी सरदारसिंह जी का कुंआ, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पप्पूसिंह पिता स्वर्गीय विजयसिंह राजपूत, निवासी सरदारसिंह जी का कुंआ, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती विष्णु कुंवर पुत्री स्वर्गीय विजयसिंह पत्नी रतनसिंह राजपूत, निवासी सरदारपुरा, पोस्ट गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हेमेन्द्रसिंह पिता शंकरसिंह जी राजपूत, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. पटवारी पटवान हल्का, सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली

दिनांक 08.12.2022 प्र. सं. 03/2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयप्रकाश पूर्बिया अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पवन सेन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 19–10–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सनवाड़ में परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 4551 से 4554 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम अंकित है तथा परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 4544 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की है, जिसके पश्चिमी भाग की भूमि पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाता हुआ 20 फिट रास्ता बना हुआ है, जो आराजी नंबर 4555 से 4554 से सटमा होता हुआ आगे 4546 के सटमा होते हुए आराजी नंबर 4547 तक जाता है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी आराजियात पर पूर्वजों के समय से आते–जाते हैं तथा बैल, टैक्टर आदि लाते ले जाते हैं। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 उक्त सदीप से बने रास्ते को अवरूद्ध करने पर उतारू हैं, जिससे प्रार्थी को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। अतः प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 08–12–2022 को निर्णय पारित करते हुए डी.एल.सी. दर से दुगनी कीमत की शर्त पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 07–02–2023 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सेन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रारम्भिक आपत्ति पेश की, जिस पर सुने बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिया, जो विधि के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत् आदेश जल्दबाजी में प्रदान किया है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय [illegible]न्ट को सुनवाई का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested

दिये बिना उसकी खातेदारी भूमि से रास्ता देने का आदेश पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को सम्मन प्रोपर तामिल हुए हैं एवं उन्हें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, किन्तु बावजूद तामिल अपीलान्टगण के अनुपस्थित रहने से अधिनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न सम्मनों के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलान्टगण की प्रोपर तामिल हुई है इसलिए अपीलान्टगण का यह कथन कि उसे प्रोपर तामिल नहीं हुई है, उचित प्रकट नहीं होता है। जहां तक रास्ते का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि ''वादी की खातेदारी में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है वर्तमान में खातेदार की आराजी नंबर 4544 से आवागमन कर रहा है। प्रस्तावित रास्ता आराजी नंबर 4544 में से है जो न्यूनतम दूरी वाला है प्रार्थी द्वारा मौके पर इस रास्ते का उपयोग किया जा रहा है।'' अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डी.एल.सी. दर से दुगनी कीमत अदा करने की शर्त पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–12–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:06 IST
Reason: SelfAttested